सरकार ने मंत्रालय के व्यय हेतु उच्च रिपोर्टिंग सीमा का प्रस्ताव रखा

प्रिलिम्स के लिये:

लोक लेखा समिति, नई सेवा और सेवा के नए साधन, अनुदान की अनुपूरक मांग, सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

मेन्स के लिये:

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ, वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और कमियाँ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

संसद की **लोक लेखा समिति** ने हाल ही में सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा **'नई सेवा' और 'सेवा के नए उपकरणों'** पर खर्च के लिये वित्तीय सीमा बढ़ाने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव का समर्थन किया है।

- वित्तीय सीमा में यह प्रस्तावित संशोधन आज़ादी के बाद चौथी बार है। अंतिम संशोधन वर्ष 2005 में हुआ लेकिन वर्ष 2006 में लागू हुआ।

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नई वित्तीय सीमाएँ क्या हैं?

- **नई सेवा और सेवा के नए उपकरण:**
  - नई सेवा (NS) एक **नए नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप होने वाले व्यय** को दर्शाती है जो पहले संसद के ध्यान में नहीं लाया गया था, जिसमें नई गतिविधियाँ या निवेश **[**संविधान का **अनुच्छेद 115(1)(a)]** शामिल हैं।
  - सेवा का नया साधन (New Instrument of Service- NIS) मौजूदा नीति के उल्लेखनीय विस्तार से **उत्पन्न अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण व्यय को संदर्भित** करता है।
- **नई सीमा:**
  - **50 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए** के बीच के व्यय के लिये संसद को रिपोर्ट करना अनिवार्य है, लेकिन पहले से मंज़ूरी की आवश्यकता नहीं है।
    - **पूर्व संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता केवल तभी होती है जब खर्च 100 करोड़ रुपए से अधिक हो।**
  - **'सेवा के नए उपकरण'** के लिये रिपोर्टिंग सीमा मूल विनियोग का 20% या 100 करोड़ रुपए तक, जो भी अधिक हो, तय की गई है।
    - **मूल विनियोग के 20% से अधिक या 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के लिये संसद की मंज़ूरी अनिवार्य हो जाती है, जो समान अनुदान अनुभाग के भीतर बचत के अधीन है।**

नोट: पहले, सीमा **10 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए** के बीच बहुत कम थी और व्यय की लगभग 50 वस्तुओं में मूल्य भिन्न था।

वित्तपोषण सीमा बढ़ाने के संभावित लाभ और हानि क्या हैं?

- **संभावित लाभ:**
  - **अनुपूरक मांगों की आवृत्ति में कमी:** हाल के वर्षों में, PAC और CAG ने उचित रिपोर्टिंग या अनुमोदन के बिना पूरक खर्च में वृद्धि को उजागर किया है।
    - खर्च की वित्तीय सीमा बढ़ाने से **अनुदान की अनुपूरक मांगों** की आवश्यकता कम हो जाएगी। यह बजटीय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है।
  - **प्रशासनिक बाधाएँ कम हुईं:** वित्तीय सीमाओं में संशोधन अपेक्षाकृत छोटे व्ययों के लिये अनुमोदन प्राप्त करने से जुड़ी **नौकरशाही बाधाओं** को कम करता है।

        - यह सरकारी विभागों और एजेंसियों के भीतर निर्णय लेने एवं कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में दक्षता को बढ़ावा देता है।
    - **आर्थिक विकास के लिये अनुकूलन**: साल-दर-साल 6-7% की अनुमानित GDP वृद्धि दर के साथ, आने वाले वर्षों में बजट का आकार काफी बढ़ने का अनुमान है।
        - वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से यह सुनिश्चित होता है कि बजट बढ़ती अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को समायोजित कर सकता है।
- **संभावित कमियाँ:**
    - **बजटीय अनुशासन को कमज़ोर करना:** यदि पर्याप्त निगरानी तंत्र मौजूद नहीं है, तो यह जोखिम है कि **धन के दुरुपयोग** या **गलत आवंटन** के लिये उच्च वित्तीय सीमाओं का फायदा उठाया जा सकता है।
        - इससे भ्रष्टाचार या फिज़ूलखर्ची की घटनाएँ हो सकती हैं।
        - इसके परिणामस्वरूप बजटीय अतिवृद्धि या घाटा हो सकता है, जिससे समग्र राजकोषीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
    - **जवाबदेही की कमी:** मंत्रालयों और विभागों के लिये बढ़ी हुई वित्तीय स्वायत्तता के परिणामस्वरूप **सार्वजनिक धन के उपयोग के प्रति जवाबदेही कम हो सकती है।**
        - इससे व्ययों पर नज़र रखना और यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि वे इच्छित उद्देश्यों के साथ संरेखित हों।
    - **संसदीय निरीक्षण पर प्रभाव:** वित्तीय सीमाएँ बढ़ाने से सरकारी खर्चों पर संसदीय जाँच की आवृत्ति कम हो सकती है, जिससे **सार्थक वार्ता और निरीक्षण के अवसर सीमित** हो सकते हैं।
        - यह पारदर्शी शासन के लिये आवश्यक नियंत्रण और संतुलन को कमज़ोर कर सकता है।

लोक लेखा समिति क्या है?

- **परिचय**: लोक लेखा समिति भारत की संसद द्वारा स्थापित संसद के चयनित सदस्यों से बनी एक इकाई है, जिसका प्राथमिक कार्य **भारत सरकार के राजस्व और व्यय की जाँच** करना है।
    - इसका प्राथमिक दायित्व जाँच के दौरान CAG की सहायता से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई रिपोर्टों का ऑडिट करना है।
        - विशेष रूप से, इसके किसी भी सदस्य को सरकार में मंत्री पद संभालने की अनुमति नहीं है।
- **सदस्य:** PAC में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं।
    - सदस्यों को **एकल हस्तांतरणीय वोट** के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा वार्षिक तौर पर चुना जाता है।
    - अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
        - चेयरपर्सन मुख्यतः विपक्षी दल से होता है।

अनुच्छेद 115 के तहत अनुदान के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- **अनुपूरक अनुदान:**
    - **उद्देश्य: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान** अप्रत्याशित व्यय उत्पन्न होने और किसी **विशिष्ट सेवा के लिये आवंटित बजट अपर्याप्त** होने की दशा में अनुपूरक अनुदान की मांग की जा सकती है।
    - **अनुमोदन प्रक्रिया:** सरकार **वित्तीय वर्ष के अंत से पहले** आवश्यक अतिरिक्त धनराशि के **अनुमोदन** के लिये संसद के समक्ष अनुमान प्रस्तुत करती है।
- **अतिरिक्त अनुदान:**
    - **उद्देश्य:** चालू वित्तीय वर्ष के मूल बजट में परिकल्पित सेवाओं के अतिरिक्त **किसी नई सेवा के लिये धन की आवश्यकता** पड़ने की दशा में इस अनुदान की मांग की जा सकती है।
    - **अनुमोदन प्रक्रिया:** अनुपूरक अनुदान के समान सरकार वित्तीय वर्ष के अंत से पहले अनुमोदन के लिये संसद के समक्ष अतिरिक्त धन राशि का अनुमान प्रस्तुत करती है।
- **अतिरिक्त अनुदान:**
    - **उद्देश्य:** किसी **सेवा पर वास्तविक व्यय मूल रूप से बजट और संसद द्वारा स्वीकृत धन राशि से अधिक** होने की दशा में अतिरिक्त अनुदान की मांग की जा सकती है।
    - **अनुमोदन प्रक्रिया:** उक्त दो अनुदान के अनुमोदन प्रक्रिया के विपरीत, **अतिरिक्त अनुदान चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्रस्तुत किया जाता है**। वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय संसद में विचार हेतु "अतिरिक्त अनुदान की मांग" प्रस्तुत करते हैं।
        - अतिरिक्त अनुदान की मांगों को मतदान के लिये लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व, उन्हें संसद की लोक लेखा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण की निम्नलिखित में से कौन-सी विधियाँ हैं? (2012)

1. संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना।
2. विनियोग विधेयक पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से धन की निकासी।
3. अनुपूरक अनुदान और लेखानुदान के प्रावधान।
4. संसदीय बजट कार्यालय द्वारा व्यापक आर्थिक पूर्वानुमानों और व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम की आवधिक या कम-से-कम मध्य-वर्ष की समीक्षा करना।
5. संसद में वित्त विधेयक पेश करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5
(b) केवल 1, 2 और 4
(c) केवल 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (a)

दिव्यांगजनों के लिये आवगमन की सुगमता

प्रिलिम्स के लिये:

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016, सुगम्य भारत अभियान

मेन्स के लिये:

दिव्यांगजनों के लिये समावेशिता और समान अधिकारों को बढ़ावा देने का महत्त्व, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने **सार्वजनिक भवनों में दिव्यांगजनों (PwD) के लिये आवागमन में सुधार** करने हेतु कदम उठाए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बावजूद दिव्यांगजनों से संबंधित चुनौतियाँ बनी हुई हैं जिसके कारण CPWD ने भवनों में आवागमन की सुगमता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सुधारात्मक उपायों का कार्यान्वन किया।

दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 क्या है?

- **परिचय:**
  - RPwD अधिनियम, 2016, दिव्यांगजन अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन करता है जिसका अनुमोदन भारत द्वारा वर्ष 2007 में किया गया था।
    - इस अधिनियम ने **निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995** को प्रतिस्थापित किया।
  - वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में **निःशक्त अथवा दिव्यांगजन की संख्या** लगभग 26.8 मिलियन थी जो **भारत की कुल जनसंख्या का 2.21%** है।
  - राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के आँकड़ों के अनुसार भारत में दिव्यांगजनों का प्रतिशत भारत की कुल आबादी का 2.2% है।
    - NSSO के 76वें चरण, 2019 के अनुसार 1 वर्ष की अवधि में **प्रति 1,00,000 लोगों में से 86 व्यक्ति दिव्यांग** थे।
- **दिव्यांगता की विस्तारित परिभाषा:**
  - इस अधिनियम में दिव्यांगता को एक विकासशील और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है।
  - RPwD अधिनियम, 2016 में दिव्यांगता के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिये गए जिसमें केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगता के और अधिक प्रकार शामिल किये जाने का प्रावधान है।
- **अधिकार और हकदारी:**
  - अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकारों को **दिव्यांगजनों के लिये समान अधिकार** सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा गया है।
  - अधिनियम के तहत बेंचमार्क दिव्यांगजनों (चालीस प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता वाला व्यक्ति) और उच्च समर्थन आवश्यकताओं वाले लोगों के लिये **उच्च शिक्षा में आरक्षण** (न्यूनतम 5%), **सरकारी नौकरियों** (न्यूनतम 4%) और भूमिका आवंटन

(न्यूनतम 5%) जैसे अतिरिक्त लाभ प्रदान किये जाते हैं।
    - 6 से 18 वर्ष की आयु वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिये **निशुल्क शिक्षा की गारंटी** का प्रावधान किया गया है।
        - सरकार द्वारा वित्त पोषित और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों को दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है।
    - इस अधिनियम में सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये सुलभ बनाने, उनकी भागीदारी तथा समावेशन को बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया।
- **सार्वजनिक भवनों के संबंध में आदेश:**
    - **दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017** का नियम 15 केंद्र सरकार को दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित करने हेतु**सार्वजनिक भवनों के लिये दिशा-निर्देश और मानक स्थापित करने का आदेश** देता है।
        - इन मानकों में दिव्यांग जनों के लिये मानक निर्मित वातावरण, परिवहन और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शामिल है।
        - सार्वजनिक भवनों सहित प्रत्येक प्रतिष्ठान को वर्ष 2016 के सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों के आधार पर इन मानकों का पालन करना होगा।
    - **नियम 15 में हाल के संशोधनों** के अनुसार प्रतिष्ठानों को **वर्ष 2021 के सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों** का अनुपालन करने की आवश्यकता है, जिससे दिव्यांग जनों के लिये सुगमता सुनिश्चित हो सके।
        - व्यापक दिशा-निर्देशों में दिव्यांग जनों के लिये रैंप, ग्रैब रेल, लिफ्ट और शौचालय जैसी विभिन्न सुगमता सुविधाओं वाली योजना, निविदा एवं विशिष्टताओं को शामिल किया गया है।
        - दिव्यांग जनों के लिये समान पहुँच सुनिश्चित करने हेतु सभी भवन योजनाओं को इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिये।
    - मौजूदा इमारतों को अभिगम मानकों को पूरा करने, दिव्यांग जनों के लिये बेहतर**समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में पाँच वर्ष के भीतर रेट्रोफिटिंग से गुज़रना अनिवार्य** है।

नोट:

- **RPWD** अधिनियम, 2016 में 21 अक्षमताओं में अंधापन, दृष्टि-बाधिता, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, श्रवण विकार/दोष (बहरा और सुनने में कठिनाई), चलन-संबंधी विकलांगता, बौनापन, **बौद्धिक अक्षमता**, मानसिक बीमारी, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, **स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी (डिस्लेक्सिया)**, मल्टीपल स्केलेरॉसिस, वाक् एवं भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहु-विकलांगता, तेज़ाब हमले से प्रभावित और पार्किन्संस रोग शामिल हैं।

दिव्यांगों के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- अद्वितीय अक्षमता पहचान पोर्टल
- दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
- दिव्यांग जनों को सहायक उपकरणों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
- दिव्य कला मेला 2023

सार्वजनिक भवनों में सुगमता की स्थिति

- सुगम्य भारत अभियान का उद्देश्य **सार्वजनिक भवनों, परिवहन और वेबसाइटों में दिव्यांगजनों के लिये सुगमता** को बढ़ावा देना है।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 48 शहरों में कुल 1,671 इमारतों में दिव्यांगजनों के लिये उनकी सुगमता के स्तर के आकलन हेतु एक्सेस ऑडिट किया गया।
- केंद्र को 1,484 इमारतों को दिव्यांगजनों के लिये अधिक सुलभ बनाने की दिशा में रेट्रोफिटिंग हेतु वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त हुए।
    - प्रस्तावित रेट्रोफिटिंग परियोजनाओं में से 1,314 भवनों के लिये निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है, जो पहुँच संबंधी चिंताओं को दूर करने में प्रगति का संकेत देता है।
- सरकार ने 2,839 राज्य सरकारी भवनों की पहचान की, जिन्हें सुगमता में सुधार के लिये रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता है, इस उद्देश्य हेतु राज्यों के संसाधनों से धन आवंटित किया गया है।

सार्वजनिक भवनों में पहुँच के संबंध में क्या चिंताएँ हैं?

- PwD और कार्यकर्त्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में स्थापित **दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया** है। इसके अलावा, वर्ष 2021 के नए दिशा-निर्देशों को राज्य सरकारों से इसी तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है।
    - विश्लेषकों का कहना है कि किसी भी **राज्य ने अभी तक अपने भवन उपनियमों में सामंजस्यपूर्ण दिशा-निर्देशों को शामिल नहीं किया है,** जो पहुँच के मुद्दों को संबोधित करने में व्यापक विफलता का संकेत देता है।

- विशेषज्ञ पहुँच संबंधी **दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार सार्वजनिक निर्माण विभागों** के इंजीनियरों के बीच जागरूकता और जवाबदेही की कमी पर प्रकाश डालते हैं।
- रेट्रोफिटिंग परियोजनाओं के लिये फंड उपलब्ध हैं, लेकिन कई **राज्यों और शहरों ने उनके लिये आवेदन** जमा नहीं किये हैं, जो पहुँच पहल को प्राथमिकता देने में विफलता का संकेत देता है।
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के ज्ञापन में स्पष्टता का अभाव है **और इससे अनावश्यक संसाधन की बर्बादी हो सकती है** , जिससे पहुँच उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD)

- CPWD की स्थापना मूल रूप से जुलाई 1854 में अजमेर प्रोविजिनल डिवीज़न के रूप में की गई थी।इसका प्राथमिक उद्देश्य **वास्तुकला, इंजीनियरिंग, परियोजना प्रबंधन और भवन निर्माण तथा रखरखाव** जैसे विषयों को शामिल करते हुए सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करना था।
- वर्तमान में, CPWD शहरी विकास मंत्रालय के तहत काम करता है और इसकी राष्ट्रव्यापी उपस्थिति है।
- CPWD केंद्र सरकार के प्रमुख इंजीनियरिंग ब्लॉक के रूप में कार्य करता है, जिसमें तीन प्रभाग, भवन और सड़क (Buildings and Roads- B&R), इलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल (Electrical and Mechanical- E&M) एवं बागवानी शामिल हैं।
- वर्ष 2016 में CPWD ने 100 करोड़ रुपए के बजट से अधिक की सभी परियोजनाओं के लिये आधुनिक धूल-मुक्त निर्माण विधियों, विशेष रूप से मोनोलिथिक प्रणाली को अपनाया।
    - **मोनोलिथिक प्रणाली** में **बीम और स्लैब के लिये कंक्रीट का उपयोग करना** शामिल है, जिससे एक एकीकृत निर्माण घटक बनता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत लाखों दिव्यांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

1. सरकारी स्कूलों में 18 साल की उम्र तक मुफ्त स्कूली शिक्षा।
2. व्यवसाय स्थापित करने के लिये भूमि का अधिमान्य आवंटन।
3. सार्वजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. क्या निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 समाज में अभीष्ट लाभार्थियों के सशक्तीकरण और समावेशन की प्रभावी क्रियाविधि को सुनिश्चित करता है? चर्चा कीजिये। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/12-03-2024/print